



क्रमांक 246 / बै.प्र. / विद्यापरिषद / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 01/3/22

कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 175 / बै.प्र. / 2021 बिलासपुर दिनांक 28.10.2021 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 13 (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

1. 13(1)(iii) विद्यापीठों के अधिष्ठाता

- | | | |
|--|---|--|
| 1. विधि विद्यापीठ | — | प्रो० पी.के. बाजपेयी, आचार्य—भौतिकी
के स्थान पर
प्रो० मनीष श्रीवास्तव, आचार्य—अंग्रेजी |
| 2. प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्यापीठ | — | प्रो० मनीष श्रीवास्तव, आचार्य—अंग्रेजी
के स्थान पर
प्रो० अशोक कुमार मिश्रा, आचार्य—वाणिज्य |
- उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल पदेन पद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक : 01/3/22

पृ० क्रमांक 247 / बै.प्र. / विद्यापरिषद / 2022

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव (कार्यवाहक)